# बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

IS/ISO 9001:2015; IS/ISO 14001:2015; IS/ISO 37001:2016 प्रमाणित कंपनी

तृतीय तल, कृषि भवन, मीठापुर, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bihar.gov.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

CIN : U01111BR1977SGC 001294


## जिला स्तरीय बीज वितरक चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में

बिहार राज्य बीज निगम लि0 द्वारा विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु 14 जिलो यथा **किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, कटिहार, बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, सिवान, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय एवं मूंगेर** में जिला बीज वितरक (डिसट्रीब्युटर) बनने हेतु बीज अनुज्ञप्ति धारी इच्छुक प्रतिष्ठान/व्यक्ति से आवेदन आमंत्रण किया जाता है।

संबंधित जिलों में बीज वितरक बनने के इच्छुक प्रतिष्ठान/व्यक्ति बिहार राज्य बीज निगम लि0 के वेबसाईट **www.brbn.bihar.gov.in** पर वांछित कागजातो के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। एक जिले में एक जिला बीज वितरक का चयन किया जाना है।

बीज वितरक चयन संबंधित आवेदन पत्र, वांछित कागजातों से संबंधित चेक लिस्ट एवं नियम एवं शर्तों से संबंधित पूर्ण विवरण/जानकारी बिहार राज्य बीज निगम लि0 के वेबसाईट **www.brbn.bihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

**प्रथम चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.09.2023 तक है।**
**द्वितीय चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.10.2023 तक है।**
**तृतीय चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.11.2023 तक है।**

**नोट:**–1. प्रथम चरण हेतु निर्धारित समय सीमा में जिन जिलों हेतु आवेदन प्राप्त हो जायेगा, उन जिलों में अगले चरण में आवेदन नहीं हो सकेगा। परन्तु जिन जिला हेतु आवेदन अप्राप्त रहता है तो उन जिलों हेतु अगले चरण में आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

2. जिला बीज वितरक हेतु एक जिले में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने एवं सभी आवेदक वांछित अर्हता पूर्ण करते हैं तो उनके बीच लॉटरी सिस्टम से एक बीज वितरक का चयन किया जायेगा।

### जिला स्तरीय बीज वितरक के आवेदन हेतु वांछित कागजातों की चेक लिस्ट :–

1. आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) ☐
2. आवेदन शुल्क 1500 रूपये। ☐
3. **प्रतिभूति (जमानत) राशि (ब्याज मुक्त)** ☐
   - (i) बड़े जिलों (15 या अधिक प्रखण्ड) के लिए 20 लाख
   - (ii) छोटे जिलों (15 से कम प्रखण्ड) के लिए 10 लाख रूपये।
4. **प्रतिष्ठान का तीन साल का लगातार विक्री (टर्न ओभर)** ☐
   - (i) बड़े जिलों (15 या अधिक प्रखण्ड) के लिए 1.5 करोड़,
   - (ii) छोटे जिलों (15 से कम प्रखण्ड) के लिए 75 लाख

   टर्न ओभर से संबंधित तीन साल का आडिटेड वैलेंस सीट की छाया प्रति।

5. तीन साल का आयकर रिर्टन प्रतिवेदन की छाया प्रति।

6. जी॰एस॰टी॰ (G.S.T) अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।

7. पैन न॰ की छाया प्रति।

8. आवेदक का आधार कार्ड की छाया प्रति।

9. जिला कृषि पदाधिकारी या अन्य सक्षम स्तर से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।

10. 2000 क्वी0 क्षमता का गोदाम का पूर्ण विवरण स्वयं की स्थिति में कागजात की छाया प्रति एवं भाड़ा की स्थिति में अनुबंध कागजात की छाया प्रति।

11. परिवहन संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र या अनुबंध कागजात की छाया प्रति।

12. पुलिस अधीक्षक स्तर से निर्गत आवेदक का चरित्र प्रमाण–पत्र।

13. Diploma in Agricultural extention services for input dealers (DAESI) (Manage/Bameti) का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष के अन्दर प्राप्त करना होगा)।

14. **500 रूपये स्टाम्प पेपर पर निम्न बिन्दु का शपथ पत्र।**

(i) निगम के निर्धारित नियम एवं शर्त्तों का पालन करूगाँ एवं अवहेलना करने पर डीलरशीप को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।

(ii) बीज अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के अन्दर निलंबित/रद्द नहीं हुई है।

(iii) प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(iv) मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है।

*****

# बिहार राज्य बीज निगम

## जिला बीज वितरक के कार्य सम्पादन हेतु नियम एवं शर्तें

**1. बीज की आवश्यकता एवं वितरण की कार्य योजनाः–**

(i) निगम के अधिकृत बीज वितरक जिले के बीज की कुल आवश्यकता (लक्ष्य) एवं प्रखंड/पंचायत में बीज वितरण की पूरी कार्य योजना जिला कृषि पदाधिकारी के साथ मिलकर मौसम प्रारंभ होने के पूर्व तैयार करेंगे।

(ii) जिला कृषि पदाधिकारी के ऑनलाईन ऐप पर किये गये आवंटन के अनुसार बीज वितरक निगम में ससमय राशि जमा कर बीज की ऑनलाईन मांग करेगें।

(iii) निगम से आपूरित बीज की प्राप्ति नामित पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करते हुये नियमानुसार ऐप पर मात्रा सत्यापन करेंगें।

(iv) प्राप्त बीज को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध डीलरों को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(v) बीज वितरण ऐप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vi) बीज वितरक द्वारा निगम के निर्देश के आलोक में ऐप से बीज प्राप्ति, सत्यापन, वितरणएवं अन्य बांछित कार्य स्वयं एवं अन्य डीलरों से भी कराना सुनिश्चित करेगें।

**2. बीज की उपलब्धताः–**

**(i)** जिला स्तरीय बीज वितरक द्वारा विभागीय योजनाओं में जिले के लक्ष्य के अनुरूप बीज का उठाव हेतु फसलवार, योजनावार मात्रा का आवंटन जिला कृषि पदाधिकारी से ससमय प्राप्त किया जायेगा।

**(ii)** जिला कृषि पदाधिकारी के आवंटन के आलोक में बीज वितरक को राशि बीज उठाव हेतु निगम में जमा कर बीज की ऑनलाईन मांग ऐप की जायेगी।

**(iii)** बीज वितरक के जमा राशि सत्यापन उपरांत जमा राशि के विरूद्ध बीज आपूर्ति निगम द्वारा की जायेगी।

**(iv)** निगम द्वारा प्रतिभुति राशि 10.00/20.00 लाख रू0 के अन्तर्गत हीं बीज अवश्यकतानुसार क्रेडिट पर दिया जा सकेगा। उक्त राशि (प्रतिभुति) को एक महीने के अन्दर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। एक महीने के बाद राशि जमा करने पर निगम को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करना होगा।

**3. बीज वितरणः–**

(i) जिला स्तरीय बीज वितरक द्वारा निगम के अधिकृत बीज विक्रेताओं (प्रखंड स्त्तरीय/अनुमंडल स्त्तरीय/जिला स्तरीय बीज बिक्रेता (डीलर)) को जिला कृषि पदाधिकारी के उपावंटन के अनुरूप बीज ससमय उपलब्ध कराना होगा।

(ii) बीज वितरक निगम के संबंधित बीज विक्रेताओं से बीज की राशि को प्राप्त करेंगे।

(iii) बीज का वितरण ऐप के माध्यम से संबंधित डीलरों से सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) बीज वितरक एवं संबद्ध बीज विक्रेता (डीलर) सभी लेन–देन आपसी समन्यवय से करेगें, इसमें निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(v) बीज वितरण ऐप के माध्यम से एवं सही लाभांर्थी को हो इसका अनिवार्य रूप से ध्यान बीज वितरक द्वारा रखा जायेगा।

**4. डीलर कमीशनः–**

(i) निगम द्वारा जिला स्तरीय बीज वितरक को बीज के कुल मूल्य पर 8 प्रतिशत कमीशन देय होगा।

(ii) बीज वितरक 8 प्रतिशत डीलर कमीशन में से 5 प्रतिशत सम्बद्ध बीज विक्रेताओं को देगें एवं 3 प्रतिशत कमीशन स्वयं रखेगें।

(iii) बीज वितरक द्वारा जिले के अन्दर प्रखंड स्तरीय विक्रेताओं को बीज पहुँचाने हेतु परिवहन मद के साथ लोडिंग एवं अनलोडिंग मद में होने वाले व्यय का 30 प्रतिशत स्वयं (वितरक) द्वारा एवं 70 प्रतिशत संबंधित अधिकृत बीज विक्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।

(iv) निगम द्वारा परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग मद में कोई भुगतान बीज वितरक को नहीं किया जायेगा।

**5. ऐप बीज वितरण की व्यवस्थाः–**

(i) विभागीय निदेश के आलोक में बीज वितरण की जानकारी बीज वितरक द्वारा जिले के संबद्ध बीज विक्रेताओं (डीलरों) को दी जायेगी। बीज का वितरण ऐप के माध्यम से होगा, इस सम्बन्ध में भी पूरी जानकारी देनी होगी।

(ii) बीज वितरण ऐप के इतर बीज बिक्री अमान्य होगी, वैसी स्थिति में योजनान्तर्गत आपूरित बीज की पूरी राशि बीज वितरक को निगम में जमा करनी होगी।

**6.** बीज वितरक को विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त खुले बाजार में सामान्य बिक्री हेतु निगम के उत्पादित बीजों का क्रय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करना होगा।

**7.** जिला स्तरीय बीज वितरक एवं निगम के अधिकृत प्रखंड/अनुमण्डल/जिला स्तरीय बीज विक्रेताओं के किसी भी लेन–देन में निगम की कोई सहभागिता नहीं होगी।

**8.** जिला स्तरीय बीज वितरक को दिये गये निर्देश के अनुरूप कार्य का सम्पादन करना होगा। व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु यथा आवश्यक संशोधन प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा किया जा सकेगा।

**9.** नियम एवं शर्तो के अधीन सभी संबंधित जिलों के बीज वितरक कार्य सम्पादन करेंगे एवं निर्देश अवहेलना पर बीज वितरक चयन को रद्द किया जा सकेगा।

*****